

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 अप्रैल 2019—चैत्र 22, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2019

No. F-16-52-2018-VII-Sec.2.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) (A) of clause (i) of Section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013) and in supersession of this department's notification F-16-15(2)-2014-VII-Sec. 2A, dated 29th September, 2014 published in Madhya Pradesh Gazette part-1 on 03rd October, 2014, the State Government hereby, specifies that the following administrative cost shall be charged for acquisition of the land:—

S. No.	Requiring body	Amount charged as Administrative cost
(1)	(2)	(3)
1	All departments of State Government and Government of India and all undertakings of the State Government and the Government of India.	Two and a half percent of the cost of Compensation.
2	Other than aforesaid.	Five percent of the cost of Compensation.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

2217

MUJEEBUR REHMAN KHAN, Dy. Secy.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2019

क्र. एफ 1-23-2019-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (पश्चिम/प्रशासन), विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 14 मई से 1 जून 2019 तक, उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 2 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित Switzerland, Spain & Netherlands की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है।

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे. की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री व्ही. मधुकुमार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (पूर्व) विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक (पश्चिम/प्रशासन), विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)169-1989-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री एस. एल. थाउसेन, भापुसे, संचालक, खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 1 से 5 अप्रैल 2019 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. एल. थाउसेन, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री एस. एल. थाउसेन, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एल. थाउसेन, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2019

क्र. एफ 1(ए) 65-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अवध किशोर पाण्डेय, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, पीटीआरआई, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 7 फरवरी से 8 मार्च 2019 तक, तीस दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अवध किशोर पाण्डेय भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, पीटीआरआई, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अवध किशोर पाण्डेय, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अवध किशोर पाण्डेय, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2019

क्र. एफ-1(ए)400-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 1 फरवरी 2019 को निरस्त करते हुए द्वारा श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक (पीटीआरआई), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 28 जनवरी से 4 फरवरी 2019 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14 से 25 जनवरी 2019 तक, बारह दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 24 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस

महानिदेशक (पीटीआरआई), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) अवकाशकाल में श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)88-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अविनाश सिंह, भापुसे, तत्का. सेनानी 23वीं वाहिनी, विसबल, भोपाल को निम्नांकित अवधियों का लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. दिनांक 9 से 13 सितम्बर 2018 तक, पांच दिवस
2. दिनांक 31 अक्टूबर से 2 नवम्बर 2018 तक, तीन दिवस
3. दिनांक 20 से 29 नवम्बर 2018 तक, दस दिवस
4. दिनांक 5 से 19 दिसम्बर 2018 तक, पन्द्रह दिवस
5. दिनांक 23 जनवरी से 2 फरवरी 2019 तक, ग्यारह दिवस।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2019

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)1334.—(मेरिट क्र. 12), राज्य शासन, श्री अखिल कुमार निझावन पुत्र श्री अरविन्द कुमार निझावन को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) है। उसकी जन्मतिथि 13 मार्च 1986 है।

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)1987.—(मेरिट क्र. 64), राज्य शासन, श्री वैभव पटेल पुत्र श्री विश्वजीत पटेल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला मण्डला (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 8 दिसम्बर 1992 है।

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)1987.—(मेरिट क्र. 112), राज्य शासन, श्री प्रशांत मर्सकोले पुत्र श्री परसराम मर्सकोले को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला बैतूल (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 10 दिसम्बर 1989 है।

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)1894.—(मेरिट क्र. 86), राज्य शासन, श्री राजकुमार तोरनिया पुत्र स्व. श्री रमेश तोरनिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला धार (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 02 जून 1982 है।

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)2016.—(मेरिट क्र. 56), राज्य शासन, सुश्री शुभा रिछारिया पुत्री श्री विनोद कुमार रिछारिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 7 अगस्त 1991 है।

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)2033.—(मेरिट क्र. 55), राज्य शासन, सुश्री रीना शर्मा पुत्री श्री रमेश शर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला गुना (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 20 जनवरी 1990 है।

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)2034.—(मेरिट क्र. 24), राज्य शासन, श्री अंशुल जैन पुत्र श्री अशोक जैन को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक

अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090— 920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला गुना (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 05 मई, 1991 है।

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)2039.—(मेरिट क्र. 02), राज्य शासन, सुश्री अंकिता अग्रवाल पुत्री श्री मोहनलाल अग्रवाल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला रायपुर (छत्तीसगढ़) है। उसकी जन्मतिथि 12 फरवरी 1995 है।

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)2055.—(मेरिट क्र. 69), राज्य शासन, श्री कादिर खाँ पुत्र श्री कल्लू खाँ को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090— 920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला सीहोर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 04 दिसम्बर 1989 है।

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)2070.—(मेरिट क्र. 62), राज्य शासन, सुश्री देशना जैन पुत्री श्री संजीव जैन को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090— 920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला गुना (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 13 सितम्बर 1995 है।

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2019

संशोधित अधिसूचना

फा. क्र. 17 (ई)-17-2016-इक्कीस-ब-(एक) 1888-2019.—कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के

कॉलम (2) में उल्लिखित जिलों के लिये जिला न्यायाधीश स्तर पर, कालम (3) में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के लिए उक्त अधिनियम के अधीन उन्हें प्रदत्त क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन से, वाणिज्यिक अपीलेंट न्यायालयों का गठन करता है, अर्थात्:—

स. क्र. (1)	जिला (2)	स्थानीय क्षेत्राधिकार (3)
“1	इन्दौर	राजस्व जिला, इन्दौर
2	भोपाल	राजस्व जिला, भोपाल एवं बुरहानपुर.
3	जबलपुर	राजस्व जिला, जबलपुर
4	ग्वालियर	राजस्व जिला, ग्वालियर
5	रीवा	राजस्व जिला, रीवा एवं सिंगरौली.”

F. No. 17 (E)-17-2016-XXI-B (1)-1888-2019.—In exercise of the powers conferred by Section 3A of the Commercial Courts, Act, 2015 (No. 4 of 2016) the State Government, with the consultation of the High Court, hereby constitutes Commercial Appellate Courts at District Judge level for the districts mentioned in column (2) of table given below for the purpose of exercising the jurisdiction and powers conferred on them under the said Act for the local limits of the area, as specified in column (3) thereof, namely:—

TABLE

S.No. (1)	District (2)	Local Limits of area (3)
1	Indore	Revenue District, Indore
2	Bhopal	Revenue District, Bhopal and Burhanpur.
3	Jabalpur	Revenue District, Jabalpur
4	Gwalior	Revenue District, Gwalior
5	Rewa	Revenue District, Rewa and Singrauli.”

फा. क्र. 17 (ई)-17-2016-इक्कीस-ब-(एक) 1888-2019.—कॉमर्शियल कोर्ट, एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3(1)(1-ए) एवं उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में उल्लिखित जिलों के लिये व्यवहार न्यायाधीश स्तर पर, कालम (3) में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के लिए उक्त अधिनियम के अधीन उन्हें

प्रदत्त क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन से, वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन करता है, अर्थात्:—

स. क्र. (1)	जिला (2)	स्थानीय क्षेत्राधिकार (3)
“1	इन्दौर	राजस्व जिले, इन्दौर, उज्जैन, देवास, मंदसौर, रतलाम, नीमच, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, मंडलेश्वर (पश्चिम निमाड़) बड़वानी, शाजापुर.
2	भोपाल	राजस्व जिले भोपाल, खण्डवा (पूर्व निमाड़) हरदा, रायसेन, सीहोर, विदिशा, होशंगाबाद, बैतूल.
3	जबलपुर	राजस्व जिले जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, छिन्दवाड़ा, बालाघाट, मंडला, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया.
4	ग्वालियर	राजस्व जिले ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, गुना, टीकमगढ़, छतरपुर, श्योपुर, राजगढ़, अशोकनगर.
5	रीवा	राजस्व जिले रीवा, सतना, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, डिंडोरी, पन्ना.
6	बुरहानपुर	राजस्व जिला बुरहानपुर
7	सिंगरौली	राजस्व जिला सिंगरौली”

F. No. 17 (E)-17-2016-XXI-B (1)-1888-2019.—In exercise of the powers conferred by Section 3(1) (I-A) & (2) of the Commercial Courts, Act, 2015 (No. 4 of 2016) the State Government, with the consultation of the High Court, hereby constitutes Special Commercial Courts at below District Judge level (Civil Judge level) for the districts mentioned in column (2) of the table given below for the purpose of exercising the jurisdiction and powers conferred on them under the said Act for the local limits of the area, as specified in column (3) thereof, namely:—

TABLE

S.No. (1)	District (2)	Local Limits of area (3)
“1	Indore	Revenue District Indore, Ujjain, Devas, Mandsaur, Ratlam, Neemuch, Dhar, Jhabua, Alirajpur, Mandleshwar (W.N.) Barwani, Shajapur.

(1)	(2)	(3)
2	Bhopal	Revenue District Bhopal, Khandwa (E.N.) Harda, Raisen, Sehore, Vidisha, Hoshangabad, Betul.
3	Jabalpur	Revenue District Jabalpur, Narsinghpur, Seoni, Chhindwara, Balaghat, Mandla, Sagar, Damoh, Katni, Umaria.
4	Gwalior	Revenue District Gwalior, Bhind, Morena, Datia, Shivpuri, Guna, Tikamgarh, Chhatarpur, Sheopur, Rajgarh, Ashoknagar.
5	Rewa	Revenue District Rewa, Satna, Shahdol, Anuppur, Sidhi, Dindori, Panna.
6	Burhanpur	Revenue District Burhanpur
7	Singrauli	Revenue District Singrauli.”

फा. क्र. 17 (ई)-17-2016-इक्कीस-ब-(एक) 1888-2019.—कॉमर्शियल कोर्ट, एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा (3) की उपधारा (1) एवं उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में उल्लिखित जिलों के लिये जिला न्यायाधीश स्तर पर, कालम (3) में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के लिए उक्त अधिनियम के अधीन उन्हें प्रदत्त क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन से, वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन करता है, अर्थात्:—

स. क्र. (1)	जिला (2)	स्थानीय क्षेत्राधिकार (3)
1	इन्दौर	राजस्व जिले, इन्दौर, उज्जैन, देवास, मंदसौर, रतलाम, नीमच, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, मंडलेश्वर (पश्चिम निमाड़) बड़वानी, शाजापुर.
2	भोपाल	राजस्व जिले भोपाल, बुरहानपुर, खण्डवा (पूर्व निमाड़), हरदा, रायसेन, सीहोर, विदिशा, होशंगाबाद, बैतूल.
3	जबलपुर	राजस्व जिले जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, छिन्दवाड़ा, बालाघाट, मंडला, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया.
4	ग्वालियर	राजस्व जिले ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, गुना, टीकमगढ़, छतरपुर, श्योपुर, राजगढ़, अशोकनगर.
5	रीवा	राजस्व जिले रीवा, सतना, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, डिंडोरी, पन्ना.

F. No. 17 (E)-17-2016-XXI-B (1)-1888-2019.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 3 of the Commercial Courts, Act, 2015 (No. 4 of 2016) the State Government, with the consultation of the High Court, hereby constitutes Commercial Courts at District Judge level for the districts mentioned in column (2) of table given below for the purpose of exercising the jurisdiction and powers conferred on them under the said Act for the local limits of the area, as specified in column (3) thereof, namely:—

TABLE

S.No. (1)	District (2)	Local Limits of area (3)
1	Indore	Revenue District Indore, Ujjain, Devas, Mandsaur, Ratlam, Neemuch, Dhar, Jhabua, Alirajpur, Mandleshwar (W.N.) Barwani, Shajapur.
2	Bhopal	Revenue District Bhopal, Burhanpur, Khandwa (E.N.) Harda, Raisen, Sehore, Vidisha, Hoshangabad, Betul.
3	Jabalpur	Revenue District Jabalpur, Narsinghpur, Seoni, Chhindwara, Balaghat, Mandla, Sagar, Damoh, Katni, Umari.
4	Gwalior	Revenue District Gwalior, Bhind, Morena, Datia, Shivpuri, Guna, Tikamgarh, Chhatarpur, Sheopur, Rajgarh, Ashoknagar.
5	Rewa	Revenue District Rewa, Satna, Singrauli Shahdol, Anoppur, Sidhi, Dindori, Panna.

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2019

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)1667.—(मेरिट क्र. 50), राज्य शासन, सुश्री रूपम तोमर पुत्री श्री देवेन्द्र सिंह तोमर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090— 920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 7 जनवरी 1993 है।

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)1957.—(मेरिट क्र. 33), राज्य शासन, सुश्री अर्चिता गर्ग पुत्री श्री राजेन्द्र गर्ग को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090— 920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला पलवल (हरियाणा) है। उसकी जन्मतिथि 25 सितम्बर 1994 है।

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)2057.—(मेरिट क्र. 71), राज्य शासन, सुश्री खालिदा तनवीर पुत्री श्री शेख मुनीर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090— 920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला शहडोल (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 12 जून 1987 है।

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)2129.—(मेरिट क्र. 96), राज्य शासन, सुश्री दिव्या रामटेके पुत्री श्री अरूण कुमार रामटेके को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090— 920—40450— 1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला जबलपुर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 01 फरवरी 1985 है।

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)2157.—(मेरिट क्र. 65), राज्य शासन, सुश्री संगीता गोयल पुत्री श्री रघुनंदन गोयल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090— 920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला दक्षिण पश्चिम नई दिल्ली (दिल्ली) है। उसकी जन्मतिथि 23 अगस्त 1985 है।

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)2168.—(मेरिट क्र. 36), राज्य शासन, सुश्री किरण वर्मा पुत्री श्री रामकुमार वर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090— 920—40450— 1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला रीवा (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 12 फरवरी 1987 है।

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)2102.—(मेरिट क्र. 19), राज्य शासन, सुश्री स्वागिता श्रीवास्तव पुत्री श्री राज किशोर श्रीवास्तव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090— 920—40450— 1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला दमोह (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 02 जुलाई 1992 है।

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)2139.—(मेरिट क्र. 105), राज्य शासन, श्री बाँबी सोनकर पुत्र स्व. श्री शिव रमन

सोनकर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090— 920—40450— 1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला जबलपुर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 1 जुलाई 1994 है।

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2019

फा. क्र. 2181-2019-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री कपिल कुमार मेहता, षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर की सेवायें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बैंच नई दिल्ली में रजिस्ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति किये जाने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को सौंपता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2019

क्र. एफ-15-13-2018-सात-शाखा-7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 108 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, और इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31 दिसम्बर 2018 अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्रामों एवं उनके वर्णित नवीन राजस्व ग्रामों (मजरा) के लिए उसके कॉलम (3) में वर्णित अधिकारी द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाये:—

अनुसूची

जिला: देवास

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का क्रमांक	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)
तहसील—देवास		
1	1. मूल ग्राम—भैसूनी, प. ह. नं. 10 2. नवीन ग्राम—विजयगंज मंडी	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित)
तहसील—हाटपीपल्या		
2	1. मूल ग्राम—मानकुण्ड प. ह. नं. 07 2. नवीन ग्राम—धानीघाटी	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित)

(1)	(2)	(3)
3	1. मूल ग्राम—महूखेड़ा, प. ह. नं. 35 2. नवीन ग्राम—लालाखेडी	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित)
4	1. मूल ग्राम—पालखा, प. ह. नं. 28 2. नवीन ग्राम—लक्ष्मीपुरा	
5	1. मूल ग्राम—ग्यारसपुरा, प. ह. नं. 27 2. नवीन ग्राम—नया ग्यारसपुरा	

तहसील—बागली

6	1. मूल ग्राम—मुकुन्दगढ़, प. ह. नं. 27 2. नवीन ग्राम—अम्बाझर	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित)
7	1. मूल ग्राम—धावडिया, प. ह. नं. 29 2. नवीन ग्राम—खेडा	
8	1. मूल ग्राम—करनावद, प. ह. नं. 03 2. नवीन ग्राम—हीरापुर 3. नवीन ग्राम—होरियाखो 4. नवीन ग्राम—विश्राम	

तहसील—उदयनगर

9	1. मूल ग्राम—आगराखुर्द प. ह. नं. 53 2. नवीन ग्राम—झुलादड	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित)
---	---	-----------------------------

तहसील—कन्नौद

10	1. मूल ग्राम—बाबडीखेडा, प. ह. नं. 06 2. नवीन ग्राम—सेतीखेडा	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित)
11	1. मूल ग्राम—अम्बाडा, प. ह. नं. 32 2. नवीन ग्राम—दावतपुरा	

तहसील—सतवास

12	1. मूल ग्राम—गर्डीझाबरिया, प. ह. नं. 32 2. नवीन ग्राम—गर्डी	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित)
13	1. मूल ग्राम—बडकनखारी, प. ह. नं. 39 2. नवीन ग्राम—खारी	
14	1. मूल ग्राम—निमासा, प. ह. नं. 38 2. नवीन ग्राम—इन्द्रापुरी	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2019

क्र. एफ-15-13-2018-सात-शा. 7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 15-06-2018-सात-शा.6, दिनांक 3 अप्रैल 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd April 2019

No. F-15-13-2018-VII-Sec.-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959, (No. 20 of 1959) and in supersession of this department's even number notification dated 31st December 2018 the State Government hereby, directs that a record of rights shall be prepared for the Villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3) thereof:—

SCHEDULE

District : Dewas

S. No.	Name of Village (s) with P.C. No.	Designation of the Officer Authorised to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
Tahsil-Dewas		
1	1. Original Village-Bhaisuni 2. New Villages-Vijayganj Mandi 3. P. C. No. 10	Superintendent of Land Records (regular)
Tahsil-Hatpiplya		
2	1. Original Village-Mankund 2. New Villages-Dhanighati 3. P. C. No. 07	Superintendent of Land Records (regular)
3	1. Original Village-Mahukheda 2. New Villages-Lalakhedi 3. P. C. No. 35	
4	1. Original Village-Palkha 2. New Villages-Laxmipura 3. P. C. No. 28	
5	1. Original Village-Gyaraspura 2. New Villages-Naya Gyaraspura 3. P. C. No. 27	

(1)	(2)	(3)
Tahsil-Bagli		
6	1. Original Village-Mukundgarh 2. New Villages-Ambajhara 3. P. C. No. 27	Superintendent of Land Records (regular)
7	1. Original Village-Dhavdia 2. New Villages-Kheda 3. P. C. No. 29	
8	1. Original Village-Karnawad 2. New Village-Horiyakho 3. New Villages-Visram 4. New Village-Hirapur 5. P. C. No. 03	Superintendent of Land Records (regular)
Tahsil-Udyanagar		
9	1. Original Village-Agrakhurd 2. New Villages-Jhuladad 3. P. C. No. 53	Superintendent of Land Records (regular)
Tahsil-Kannaud		
10	1. Original Village-Bawdikheda 2. New Villages-Setikheda 3. P. C. No. 06	Superintendent of Land Records (regular)
11	1. Original Village-Ambada 2. New Villages-Dawatpura 3. P. C. No. 32	
Tahsil-Satwas		
12	1. Original Village-Gardijhabria 2. New Villages-Gardi 3. P. C. No. 32	Superintendent of Land Records (regular)
13	1. Original Village-Badkankhari 2. New Villages-Khari 3. P. C. No. 39	
14	1. Original Village-Nimasa 2. New Villages-Indrapuri 3. P. C. No. 28	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MUJEEBUR REHMAN KHAN, Dy. Secy.

संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
6वीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2019

क्र. उद्यान-अ-4-स्था.-लेखा परीक्षा-2018-19-2440.—विभाग में नव नियुक्त सहायक संचालक उद्यान, अधिकारियों की विभागीय परीक्षा संचालनालय स्तर पर दिनांक 24 मई 2017 को उच्च स्तर प्रश्न-पत्र द्वितीय लेखा (बिना पुस्तकों के) विषय पर आयोजित की गई थी. उक्त परीक्षा में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

उच्च स्तर संभाग, नर्मदापुरम

अनुक्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1	श्रीमती आशा उपवंशी वासेवार	सहायक संचालक उद्यान, बैतूल

निम्न स्तर संभाग, संभाग जबलपुर/भोपाल

1	डॉ. नेहा पटेल अमृते	सहायक संचालक उद्यान, नरसिंहपुर
2	श्रीमती रीता उईके	सहायक संचालक उद्यान, संचालनालय

उपरोक्त परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम विभागीय आदेश क्रमांक अ-4/स्था./लेखा परीक्षा/2016-17/1843, दिनांक 5 मार्च 2019 द्वारा घोषित किया जा चुका है.

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2019

क्र. उद्यान-अ-4-स्था.-लेखा परीक्षा-2016-17-1843.—नवनियुक्त सहायक संचालक उद्यान राजपत्रित वर्ग-2 की विभागीय लेखा परीक्षा दिनांक 24 मई 2017 को संचालनालय उद्यानिकी, भोपाल में आयोजित की गई थी विभागीय लेखा परीक्षा परिणाम निम्नानुसार घोषित किया जाता है.

क्र. (1)	नाम (2)	प्रश्न पत्र प्रथम पूर्णांक (100) (3)	प्रश्न पत्र द्वितीय पूर्णांक (100) (4)	उत्तीर्ण श्रेणी (5)
1	डॉ. आशा उपवंशी वासेवार, सहायक संचालक उद्यान.	74	88	उच्च
2	श्रीमती रीता उईके, सहायक संचालक उद्यान.	52	78	निम्न
3	डॉ. नेहा पटेल अमृते, सहायक संचालक उद्यान.	53	73	निम्न

श्रीमती आशा उपवंशी वासेवार को 65 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होने के कारण उन्हें उच्च स्तर से उत्तीर्ण घोषित किया जाता है.

सत्यानंद, आयुक्त सह संचालक.